मुख्यालय पुलिस

## महानिदेशक

उत्तर प्रदेश

1, तिलक मार्ग लखनऊ-226001

संख्या:डीजी-परिपत्र संख्या-24

दिनाँक: लखनऊ:मई 05,2016

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।

3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र०।

विषय:-पुलिस रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालयों में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री रिशाद मुर्तजा, शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ इलाहाबाद के पत्र दिनाँक 02.05.2016(छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि मा० न्यायालय ने यह पाया है कि बहुत से प्रकरणों में सम्बन्धित विवेचको द्वारा धारा 173(2) के अन्तर्गत विवेचना के उपरान्त पुलिस रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/अधिकारी को सम्बन्धित न्यायालय को अग्रसारित करने हेतु प्रेषित की जाती है, उस रिपोर्ट को सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/अधिकारी द्वारा मा० न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयाविध में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उ०प्र0 पुलिस रेग्यूलेशन के अध्याय XI, के नियम 122 में विशेष रूप से निम्न व्यवस्था की गई है:-

"None of the Circle Officer and the Public Prosecutor should normally retain the Charge-sheet for more than one week and should submit it to Court concerned within the time limit prescribed. The prescribed time limt should not be allowed to except for very special reason."

मा0 न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता के कारण निर्देशित किया है कि समस्त क्षेत्राधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी सम्बन्धित न्यायालय में चार सप्ताह(Four Week) के अन्दर पुलिस रिपोर्ट दाखिल करें।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ समस्त क्षेत्राधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करें कि मा0 न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

(जावीद अहमद) पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित-

(1)पुलिस महानिदेशक अभियोजन, उ०प्र0।

(2)शासकीय अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।



ishad Murtaza





To,

Sir,

- 1-The Director General of Police, Uttar Pradesh, Lucknow.
- 2-The Director General of Police (Prosecution), Uttar Pradesh, Lucknow.

High Court, Lucknow Bench Lucknow

Phone No. : (0522)-261476

Fax No. : 0522-2627693 9415468806 Mobile No. :.

9415015833

Dated 02-05-2014

It is to inform you that while adjudicating the jurisdiction of 226 of the Constitution of India, the Hon'ble Court has observed that there are number of cases in which the Investigating Officers had concluded the investigation and after prepared the police reports under Section 173 (2), has forwarded the same to the concerned Circle Officers for onward submission in the court concerned, however the police reports are retained with the authorities concerned for considerable time and are not filed in the concerned courts.

Here it is necessary to mention that in Chapter XI, Rule 122 of the Uttar Pradesh Police Regulation, it is specifically provided that "None of the Circle Officer and the Public Prosecutor should normally retain the Charge-sheet for more than one week and should submit it to Court concerned within the time limit prescribed. The prescribed time limit should not be allowed to except for very special reason."

Taking into account the heavy work load on the police officers, the Hon ble Lucknow Court has directed you to directed/inform all the Circle Officers/officer concerned to file the police report in concerned Court's within four weeks.

Government Advocate.